वित्तीय स्वीकृति

संख्याः 15/2020/1050 प्रो०/51-2020-14(05)/2020

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 06 जुलाई, 2020

विषयः अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ में पधारने वाले राज्य अतिथिगणों के सेवा-सत्कार/भोजन आदि पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः एम-1956/32-3-2020-12/2011, दिनांक 08 जून, 2020 के साथ संलग्न मुख्य व्यवस्थाधिकारी, अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ के पत्र संख्या-268/अ०वि०अ०गृ०/2020, दिनांक 18 मई, 2020, संख्या- 265/अ०वि०अ०गृ०/2020, दिनांक 16 मई, 2020 तथा संख्या- 264/अ०वि०अ०गृ०/2020, दिनांक 16 मई, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ में पधारने वाले राज्य अतिथिगण के भोजनादि से सम्बन्धित संलग्न विवरण के अनुसार 60 देयकों के व्यय को वहन करने हेतु कुल रू० 65,520=00 (रूपये पैंसठ हजार पाँच सौं बीस मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना/संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर प्रोटोकाल अनुभाग को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित 60 देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः 60 मूलदेयक।

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः 15/2020/1050 (1)प्रो०/51-2020-14(05)/2020, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3।
5. मुख्य व्यवस्थाधिकारी, अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।